भारत सरकार

पर्यटन मंत्रालय

राज्य सभा

लिखित प्रश्न सं. 145

मंगलवार, 2 फरवरी, 2021/13 माघ, 1942 (शक)

को दिया जाने वाला उत्तर

माल और सेवा कर (जीएसटी) की दरें

145 श्री प्रभाकर रेड्डी वेमिरेड्डी:

क्या **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि जिन होटल के कमरों का किराया 7500 रूपये या उससे अधिक है उन पर जीएसटी (माल और सेवा कर) 28% है और जिन कमरों का किराया 2500 रूपये और 7500 रूपये के बीच में है उनके लिए जीएसटी 18% है;

(ख) क्या यह जीएसटी दरें बहुत अधिक है जो पर्यटन के प्रवाह को प्रभावित करती है;

(ग) क्या मंत्रालय इसे कम करने के लिए इसे कभी जीएसटी (माल और सेवा कर) परिषद के समक्ष लेकर गया है;

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ड.) क्या मंत्रालय पर्यटन क्षेत्र, विशेषत: होटल उद्योग पर गंभीर प्रभाव को देखते हुए होटल के सभी कमरों पर जीएसटी 12% तक कम करने के लिए जीएसटी परिषद में जाने पर विचार करेगा, और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

पर्यटन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री प्रहलाद सिंह पटेल)

(क) से (घ): जी, हां। पर्यटन मंत्रालय होटलो सहित विभिन्न पर्यटन उत्पादों और सेवाओं पर लगाए गए कर से परिचित था। यह अन्य देशों की तुलना में भारत की पर्यटन प्रतिस्पर्धात्मकता को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है।

पर्यटन मंत्रालय ने जीएसटी स्लैब्स से संबंधित मुद्दा समय-समय पर वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के समक्ष उठाया है और पर्यटन उत्पादों एवं सेवाओं के संबंध में जीएसटी रेट स्लैब्स में निम्नलिखित परिवर्तन किए गए हैं:-

i) वित्त मंत्रालय द्वारा 28% की जीएसटी दर की प्रारंभिक सीमा को ₹5000/- के स्थान पर बढ़ाकर 7500 रुपए/- प्रति कमरे प्रति दिन के लिए लागू किया गया।

ii) लागू दर के निर्धारण का आधार घोषित टैरिफ से बदलकर वास्तविक टैरिफ कर दिया गया है।

iii) रेस्तरां तथा भोजनगृहों पर जीएसटी को घटाकर 5% कर दिया गया है चाहे वह वातानुकूलित हो अथवा न हो। यदि कोई रेस्तरां किसी होटल, क्लब अथवा आवास या आवासीय प्रयोजन हेतु निर्मित किसी ऐसे वाणिज्यिक स्थान के परिसर के भीतर अवस्थित है जहां प्रतिदिन प्रति इकाई के लिए टैरिफ 7500 रुपए/- या उससे अधिक है तो कर 18% की दर से लागू होगा।

(ड.): वर्तमान में, पर्यटन मंत्रालय द्वारा सभी होटल के कमरों पर जीएसटी की दर को 12% तक घटाने के संबंध में जीएसटी परिषद से अनुरोध करने का कोई प्रस्ताव नहीं है क्योंकि जीएसटी परिषद द्वारा कराधान की दर का निर्धारण व्यवसाय के विभिन्न वर्गों को प्रभावित करने वाले तथ्यों पर विचार करने के बाद और साथ ही साथ अर्थव्यवस्था के समग्र विकास के लिए अपेक्षित अधिकतम राजस्व सृजन सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है।

****